विधान सभा/अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
संसदीय कार्य विभाग

परिपत्र

विषयः–14वीं राजस्थान विधानसभा के प्रथम सत्र से 11वें सत्र तक एवं 15वीं राजस्थान विधान सभा के प्रथम सत्र के सभी लम्बित विधान सभा प्रश्नों एवं प्रस्तावों के उत्तर आगामी सत्र से सात दिवस पूर्व तक भिजवाने बाबत्।

विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान विधान सभा सचिवालय की ओर से माननीय मुख्य सचिव महोदय को सम्बोधित अ.शा. पत्रांक एफ.7(528)प्र.एवंसं./विस/2018–19/9376 दिनांक 22.02.2019 के द्वारा ध्यान में लाया गया है कि 14वीं राजस्थान विधानसभा के प्रथम सत्र से 11वें सत्र तक एवं 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र के लम्बित तारांकित एवं आतारांकित प्रश्न, नियम 131 (ध्यानाकर्षण प्रस्ताव) एवं नियम 295 (विशेष उल्लेख) प्रस्तावों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसे माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा ने काफी गम्भीरता से लिया है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 22 मार्च, 2018 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में तत्कालीन मुख्य सचिव महोदय ने आग्रह किया था कि 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं विधानसभा समाप्त हो चुकी है, अतः उनके प्रश्नों एवं प्रस्तावों को ड्रॉप कर दें। साथ ही आश्वासन दिया था कि वर्तमान विधानसभा के 100 प्रतिशत के उत्तर भेजे देंगे, तब यह प्रकरण हमेशा के लिये समाप्त हो जायेगा। परन्तु दीर्घ अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी 14वीं विधानसभा के प्रथम सत्र से 11वें सत्र तक एवं 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र के लम्बित तारांकित एवं आतारांकित प्रश्न, नियम–131 (ध्यानाकर्षण प्रस्ताव) एवं नियम–295 (विशेष उल्लेख) के प्रस्तावों के उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों के सचिवगणों से अनुरोध है कि कृपया –

1. वे अपने विभाग से सम्बन्धित सभी लम्बित विधान सभा प्रश्नों एवं प्रस्तावों के उत्तर यथास्थिति सीधे ही संबंधित प्रश्नकर्ता माननीय सदस्यों को एवं एक प्रति प्रश्न एवं संदर्भ समिति के उपयोगार्थ विधानसभा सचिवालय को 15वीं विधानसभा के द्वितीय सत्र के प्रारम्भ होने के सात दिवस पूर्व तक भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का श्रम करें।
2. 15वीं विधानसभा के द्वितीय सत्र एवं आगामी सत्रों के प्रश्नों एवं प्रस्तावों की उत्तर सूचना भी यथासमय भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करावें।
3. विधानसभा सचिवालय के पत्र के अनुसार यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा की Online एवं मेन्यूअल उत्तर प्रेषित करने पर ही उत्तर प्राप्त होना माना जावेगा।
4. प्रश्नों के उत्तर की प्रति प्रशासनिक सुधार विभाग एवं प्रस्तावों के उत्तर की प्रति संसदीय कार्य विभाग को आवश्यक रूप से भिजवायी जावे।

कृपया सभी सम्बन्धितों को आवश्यक निर्देश प्रदान करते हुए उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

प्रमुख शासन सचिव

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
राजस्थान, जयपुर।

अशा. टीप. संख्या एफ. 26(9)संसद/2014
जयपुर, दिनांक : 28 FEB 2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, जयपुर को सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर से प्राप्त अ.शा. पत्रांक एफ.7(528)प्र.एवं सं./विस/2018–19/9376 दिनांक 22.02.2019 की छाया प्रति संलग्न कर निवेदन है कि कृपया लम्बित विधान सभा प्रश्नों के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु विभागीय स्तर पर भी सभी प्रशासनिक विभागों को स्मरण कराया जाना सुनिश्चित करावें।
2. वरिष्ठ उप सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राज0,जयपुर को उनके डी. नं. 361730/सीएसओ/19 दिनांक 25.02.2019 के क्रम में।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर को उनके अ.शा. पत्रांक एफ. 7(528)प्र.एवं सं./विस/2018–19/9376 दिनांक 22.02.2019 के क्रम में।
4. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर।

28/2/19

प्रमुख शासन सचिव